

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015—वैशाख 28, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेर-पी.एस.जी.-4—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में राजस्व विभाग से संबंधित सेवा को विलोपित करते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइ जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत राजस्व विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- 4.1 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-छ: क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना।
- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व 30 कार्य दिवस। कलेक्टर 30 कार्य दिवस। संभागायुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.6 वन्यप्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं बन ग्रामों में)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसलीदार.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	
अ. (रु. 30 हजार तक के प्रकरण).						
ब. (रु. 50 हजार तक के प्रकरण).	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	
स. (रु. 2 लाख तक के प्रकरण).	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस.	सचिव, राजस्व	
4.11 राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत निम्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना।	(अ) तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार (अपनी- अपनी अधिकारिता में).	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	
1. फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता.	(30 हजार रुपये तक).	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	
2. पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता.	(ब) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व. (रुपये 50 हजार तक).	30 कार्य दिवस.	संभागायुक्त	30 कार्य दिवस.	सचिव, राजस्व	
3. नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.						
4. कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायता.	(स) कलेक्टर, (रुपये 2 लाख के प्रकरण).					
5. लावारिस शब्द के अंतिम संस्कार के लिये सहायता.						
6. मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बरबाद होने पर आर्थिक अनुदान सहायता.					
8.	बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता.					
9.	अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता.					
10.	बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता.					
11.	प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली अन्य सहायता.					
12.	कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता.					
13.	बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता.					
14.	भूस्खलन अथवा नदियों द्वारा रास्ता बदलने से लघु एवं सीमांत कृषकों की भूमि हानि (दिनांक 25 जून 2013 से प्रभावशील).					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव,